



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलव्य भवन

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन:-5150943 फोन:- 2705067, फैक्स :-0141-2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:rajasthansos@gmail.com

क्रमांक:प.12(5)आर.एस.ओ.एस. / जय / परीक्षा मूल्यांकन / 2011-12/ 12169

दिनांक 09.02.16

सहायक निदेशक (आई.टी.)

राजकाम्प,
योजना भवन,
जयपुर।

विषय :- रद्दी नीलामी की निविदा सूचना राज्य सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने के विषय में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा रद्दी नीलामी हेतु निविदा आंमत्रित की गई है। इस संबंध में नीलामी सूचना, निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कुल आठ पृष्ठ राज्य सरकार की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर अधिभारित करने के लिए इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
 (राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलव्य भवन

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
 फोन:-5150943 फोन:- 2705067, फैक्स :-0141-2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in> e-mail:rajasthansos@gmail.com

क्रमांक:प.12(5)आर.एस.ओ.एस./जय/परीक्षा मूल्यांकन/2011-12/12135 दिनांक - ४-२-१६

प्रबन्ध निदेशक,
 राजस्थान संचार,
 शासन सचिवालय परिसर,
 जयपुर।

विषय :- रद्दी नीलामी हेतु निविदा सूचना प्रकाशित करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस विभाग को रद्दी नीलामी कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करनी है। अतः इस संबंध में जारी की जाने वाली निविदा की सी.डी. संलग्न कर प्रेषित है। कृपया संलग्न निविदा सूचना नियमानुसार एक अखिल भारतीय स्तर जयपुर संस्करण का समाचार पत्र, निविदा प्रकाशन के लिए व्यापार पत्रिका एवं पचास हजार प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र जयपुर संस्करण में निविदाएं आमंत्रित करने की सूचनाओं को 8Cm.X5Cm. में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

संलग्न:- निविदा नोटिस की सी.डी.।

निवेदन
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर

क्रमांक:प.12(5)आर.एस.ओ.एस./जय/परीक्षा मूल्यांकन/2011-12/

दिनांक -

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय—जयपुर।
2. सहायक निदेशक लेखा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को भेजकर लेखा है कि दर संविदा सूचना एवं शर्तें आदि विभागीय वेब साईट www.rsos.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
4. नोटिस बोर्ड, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।

सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर २.१८



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

एकलाय्य भवन

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर
फोन:- 5150943 फोन- 2705067, फैक्स- 0141-2705067

www.rsos.rajasthan.gov.in e-mail: rajasthansos@gmail.com

क्रमांक: प.12(5)आरएसओएस / ज्य. / परीक्षा मूल्यांकन / 2011-12 / 12135 दिनांक: 09.02.2016

:- चीलारी रुचना :-

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा रद्दी कागज (लगभग 527 विंटल शिक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त पश्चात् अनुपयोगी उत्तर पुस्तिकाओं, शेष प्रश्न पत्रों के खाली लिफाफे तथा पैकिंग रद्दी) की नीलामी हेतु महरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

इस संबंध में इच्छुक निविदादाता फर्मे नीलाम की जाने वाली रद्दी का अवलोकन कार्यालय दिवस में 11:00 A.M. से 4:00 P.M. के बीच कर सकती है एवं निविदा प्रपत्र दिनांक 10.02.16 से कार्यालय में 400/-रूपये ड्राफ्ट/नकद भुगतान कर प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र की शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय की वेबसाईट www.rsos.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से रद्दी कागज के लिए निविदा लिखा हो दिनांक 02.03.16 को अपरान्ह 1:00 P.M. बजे तक या उससे पूर्व पहंच जानी चाहिए।

किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

~~नियमित~~ १८
राजस्थान स्टेट अपरेंट्री स्कूल
~~प्रयोगशाला~~

659
9/02/16



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

निविदा—प्रपत्र
वित्तीय बोली

निविदा शुल्क रु.400/-
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि
दिनांक 02.03.16 को 1.00 बजे तक

1. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा रद्दी कागज (लगभग 527 विचंटल शिक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त पश्चात् अनुपयोगी उत्तर पुस्तिकाओं, शेष प्रश्न पत्रों के खाली लिफाफे तथा पैकिंग रद्दी) की नीलामी हेतु मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।
2. संदर्भः— निविदा सूचना संख्या 03 दिनांक 10.02.16
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता.....

फोन नम्बर ऑफिस..... घर.....

मोबाईल नम्बर..... फैक्स नम्बर.....

4. निविदा सील बन्द लिफाफे को व्यक्तिशः कार्यालय के निविदा बॉक्स में अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015 में दिनांक 02.03.16 को दोपहर 1:00 बजें तक भिजावाया जा सकता है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
5. निविदा शुल्क की राशि रु..... (अक्षरे रु.....) जमा करा दी गई है, देखिए डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद रसीद संख्या..... दिनांक.....
6. निविदा सूचना संख्या 03 दिनांक 10.02.16 जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप, हमनें हस्ताक्षर कर दिए हैं) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
7. धरोहर राशि सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में रु. (अक्षरे रु. मात्र) ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक संलग्न है।
8. संबंधित बिक्रीकर/वाणिज्यकर अधिकारी से बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र इसके साथ प्रस्तुत है।
9. निविदा में दी गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह तक वैध रहेंगी।
10. किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय के साथ कार्य किए जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

निविदा प्रपत्र वित्तीय बोली

1. फर्म का नाम एवं पता.....

वस्तु का नाम

अनुमानित वजन दर अंकों व शब्दों में
विवंटल में (प्रति विवंटल) रु.
(लगभग)

रद्दी कागज (शिक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त पश्चात्
अनुपयोगी उत्तर
पुस्तिकाओं, शेष प्रश्न
पत्रों के खाली लिफाफे तथा पैकिंग रद्दी)
परीक्षा अक्टू-नव. 2013 से मार्च-मई 2015
तक की प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाएँ शेष
प्रश्न पत्र एवं प्रश्न-पत्रों के खाली लिफाफे।
तथा पैकिंग रद्दी

527 विवंटल

दर प्रति विवंटल
रुपये अंकों में
रुपये अक्षरों में

-: घोषणा :-

उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर ध्यान पूर्वक भरी है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में उक्त व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी जानकारी आदि उपलब्ध है। केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या इनके अधीन किसी बोर्ड स्वायत्तशासी संस्था/निगम आदि के द्वारा हमारी फर्म को ब्लेक लिस्ट नहीं किया हुआ है। दरों की अंकों या शब्दों में भिन्नता होने पर दोनों में से अधिक दर को विधि मान्य और सही दर माना जायेगा। मुझे यह भी स्वीकार है कि इस रद्दी को लुगदी बनाकर ही प्रयुक्त किया जायेगा अन्यथा प्रकार से नहीं। मेरे व्यय पर रद्दी तुलवाने की व्यवस्था इलेक्ट्रोनिक कांटे के द्वारा करवाने का उत्तरदायित्व भी मेरा ही रहेगा। रद्दी उठाने और तुलवाई का समस्त व्यय मेरे द्वारा वहन किया जायेगा।

दिनांक.....

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

निविदा की शर्तें

बोर्ड कार्यालय से रद्दी कागज क्रय से संबंधित नियम व प्रतिबन्ध

1. **निविदा भरना** :— निविदादाता को निविदा देते समय निम्न विशेषताओं एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा एवं सभी विशिष्टताएँ एवं शर्तें माननी होगी। अधूरी एवं गलत निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 1. दरें/कोटेशन, निविदा सूचना में दिये गए निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से रद्दी कागज हेतु निविदा अंकित हो दिनांक 02.03.16 को दोपहर 1:00 बजे तक या उससे पूर्व व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक से आर.एस.ओ.एस. कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।
 2. दर प्रति किंवद्दल के हिसाब से अंकित की जानी चाहिए एवं अंकों और शब्दों दोनों में ही लिखी जानी चाहिए। शब्दों तथा अंकों में दिए गए मूल्यों में कोई भिन्नता होने की स्थिति में दोनों में जो अधिक हो उस पर विचार किया जायेगा। इस कार्यालय से प्राप्त किए गए टेण्डर फार्म के अलावा किसी दूसरे प्रपत्र में अंकित दरें स्वीकार नहीं की जायेगी। ऊपरी लेखन एवं किसी भी प्रकार की कटिंग पर अपने लघु हस्ताक्षर अवश्य करें।
 3. रद्दी के सामान का स्टॉक किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातःकाल 11:00 बजे से सायंकाल 4:00 बजे तक कार्यालय/गोदाम में देखा जा सकता है।
 4. निविदा उन फर्मों/व्यापारियों द्वारा ही दी जानी है जो उत्तरपुस्तिका को गलाकर अथवा काटकर नष्ट कर रहा हो। रजिस्टर्ड/अनुमोदित क्रेता हो, तथा जिनके लिए निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहा हो। इस हेतु अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
 5. निविदाकार को निविदा और करार की शर्तों और प्रतिबन्धों (संलग्न स्पेसिफिकेशन) स्वीकृति के प्रतिस्वरूप निविदा के प्रपत्र एवं निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने चाहिए।
 6. निविदादाता माल देखकर व माल के वजन का अन्दाज लगाकर टेण्डर दे, माल कार्यालय के गोदाम से पूरा उठाना होगा। टेण्डर खुलने पर इस बात का ध्यान नहीं दिया जायेगा कि अमुक माल ऊपर से अच्छा है और नीचे से खराब है। जहां है जैसा है की शर्त लागू रहेगी।
 7. फर्म के पास TIN नम्बर होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
 8. निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
 9. जिस फर्म की दरें कार्यालय द्वारा स्वीकार की जावेगी उसी फर्म से 1000/- के स्टाप्प पेपर पर करार पत्र निष्पादित किया जावेगा।
2. **सामान्य शर्तें** :—

1. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।
2. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के पूर्ण अधिकार निदेशक आर.एस.ओ.एस. के पास सुरक्षित रहेंगे। निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अधिकतम निविदा को ही स्वीकार करें। इस संबंध में अंतिम निर्णय निदेशक आर.एस.ओ.एस. का ही रहेगा।
3. विवाद की स्थिति में जयपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही न्यायिक कार्यवाही की जा सकेगी अन्य स्थान पर नहीं।
4. निविदाकार को अपने कार्यालय व गोदाम के भू—गृह आदि का पूरा पता निश्चितरूप से देना चाहिए ताकि वहां जाकर निरीक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम और पता भी अवश्य दें जिससे निरीक्षण कार्य हेतु संपर्क किया जा सके। व्यापारियों, जिन्होंने कारोबार नया ही शुरू किया हो, उनके लिए अपने बैंकरों का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. स्वीकृत दर पर किसी माल को न उठाने पर निदेशक को अधिकार होगा कि वह दुबारा टेण्डर लेकर अथवा अन्य किसी प्रकार से सामान बेचने का प्रबन्ध करेगा और उसे निविदादाता की अर्नेष्ट—मनी व सिक्योरिटी—मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. माल की दी गई वजनी तादाद अनुमानित है। माल कम या अधिक हो सकता है।
7. यदि इस माल, (जो टेण्डर फार्म पर लिखा हुआ है) के अलावा अन्य कोई माल बाद में बेचने लायक हुआ तो उसे साईड पर ही बतला दिया जायेगा। तथा टेण्डरकर्ता द्वारा उसको भी इन्हीं दरों पर लेना होगा। निविदादाता द्वारा क्रय की गई उत्तरपुस्तिकाओं, प्रश्न पत्रों एवं प्रश्न पत्रों के खाली लिफाफे को पत्त्य बनाकर ही काम में लिया जावेगा अन्यथा प्रकार से नहीं।
8. उपरोक्त सभी आइटमों पर सभी प्रकार के कर जैसे कि बिक्रीकर, वैट, इत्यादि निर्धारित हैं तो नियमानुसार अलग से वसूल किये जायेंगे।
9. ट्रक में से यदि कोई बण्डल आदि गिर जाता है तो रुपये 1000/- जुर्माना व फर्म उस बण्डल को अपने खर्च पर कार्यालय में जमा करवाना होगा।
10. विवादास्पद रद्दी कोर्ट केस, विभागीय जांच या अन्य किसी कारण नहीं बेची जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से निर्धारित शुल्क रु. 400/- प्रति निविदा प्रपत्र जमा करवाकर दिनांक 10.03.16 से दिनांक 02.03.16 तक कार्य दिवसों में एवं कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। निविदा प्रपत्र विभागीय वैबसाइट www.rsos.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी प्रकाशित कर दिए गए हैं अतः यदि बोलीदाता उचित समझे तो विभागीय वैबसाइट से भी निविदा प्रपत्र एवं शर्तें आदि डाउन लोड कर निर्धारित शुल्क 400/- रु. का जयपुर शहर में देय बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट जो निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में हो फर्म के साथ संलग्न कर निविदा प्रपत्र प्रेषित कर सकते हैं।
12. रद्दी भरने के लिए बारदाना, वजन करने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मजदूर, तथा परिवहन के लिए वाहन की व्यवस्था स्वयं निविदादाता को अपने व्यय पर करनी होगी।
13. प्रथमतः रद्दी कागज की तोल इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर आर.एस.ओ.एस. कार्यालय परिसर में ही करवाकर उसका पूरा मूल्य आर.एस.ओ.एस. कार्यालय में जमा करवाकर ही रद्दी कागज परिसर से बाहर ले जाया जा सकेगा। यदि तकनीकी रूप से आर.एस.ओ.एस. परिसर पर तोल नहीं हो सके तो ऐसी स्थिति में पूर्ण अनुमानित कीमत राशि आर.एस.ओ.एस. में सिक्योरिटी के रूप में अतिरिक्त जमा करवानी होगी। तोल किसी भी धर्म कांटे पर कहीं भी कराई जा सकेगी। क्रेता को धर्म कांटे का नाम व पता पूर्व में नहीं बताया जायेगा। जहां भी तोल कराई जायेगी क्रेता को वाहन खाली एवं भरा हुआ ले

जाना होगा। यदि कार्यालयध्यक्ष चाहे तो धर्म कांटे के अलावा किसी अन्य प्रकार से भी तुलवाई की व्यवस्था करवाने हेतु स्वतन्त्र होगा परन्तु इसका सम्पूर्ण व्यय निविदादाता को देना होगा।

14. निविदा में वहीं फर्म भाग ले सकेगी जिससे रद्दी के क्रय/विक्रय के लिए वेट पंजीकरण प्रमाण पत्र लिया हुआ है। बिना वेट पंजीकरण प्रमाण पत्र के निविदा दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. प्राप्त दरों की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय निदेशक महोदय के अनुमोदन उपरान्त ही किया जा सकेगा।

धरोहर राशि :-

1. निविदा के साथ धरोहर राशि के रु. 27,000/- (अक्षरे सत्ताईस हजार रु. मात्र) का जयपुर शहर में देय बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट जो निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में डी.डी. जमा कराने होंगे। धरोहर राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। उपरोक्त राशि सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में ड्राफ्ट द्वारा जमा कराई जायेगी। सफल निविदाकार के मामले में इसे प्रतिभूति राशि में समाहित कर लिया जायेगा।
2. केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
3. धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

प्रतिभूति राशि :-

1. संविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए प्रस्तावित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि ड्राफ्ट द्वारा जमा कराकर रूपये 1000/- (एक हजार रुपये) के स्टॉम्प पेपर पर करारनामा निष्पादित कराना होगा। यदि टेंडर स्वीकृति के पश्चात् सफल निविदाकार करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार के विफल रहने को निबन्धनों तथा शर्तों का भंग होना माना जायेगा उक्त धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदाकार को कार्यादेश देने का अधिकार बोर्ड को होगा।
2. निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर आर.एस.ओ.एस. द्वारा पूर्णतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। इस संबंध में निदेशक आर.एस.ओ.एस. का विनिश्चय ही अंतिम होगा।
3. प्रतिभूति राशि संविदा के पूर्ण होने पर समस्त संबंधितों से संतोषप्रद माल उठाने की सूचना व शर्त संख्या 7 के तहत पल्प प्रमाण—पत्र प्राप्त होने पर यथाशीघ्र लौटा दी जायेगी। इस प्रतिभूति राशि पर बोर्ड द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जायेगा।

रद्दी विक्रय, तुलवाई, विलम्ब शुल्क :-

1. सभी प्रकार की रद्दी जो निविदा में वर्णित है को उठाने का कुल समय कार्यादेश जारी होने की तिथि से अवकाश के दिनों सहित 20 दिवस है। यह अवधि विक्रयादेश की दिनांक से परिगणित होगी। देरी से माल उठाने पर गोदाम किराया नीचे लिखी सारणी के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। यह राशि प्रतिभूति राशि में से काट ली जायेगी।

क्र.सं.	विलम्ब अवधि	गोदाम किराया कुल निविदित राशि का
1.	प्रथम 5 दिन की देरी पर	2.5%
2.	5 से अधिक एवं 10 दिवस तक	5%
3.	10 से अधिक एवं 15 दिवस तक	7.5%
4.	15 से अधिक एवं 20 दिवस तक	10%

नोट :- उपरोक्त प्रकार से देरी से माल उठाने के लिए उन्हें गोदाम से माल उठाने का समस्त हज़ेर-खर्च की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। 20 दिन की देरी के पश्चात् भी फर्म द्वारा माल न उठाने की स्थिति में इस कार्यालय को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य पार्टी को माल देकर उस हानि की राशि उस फर्म से वसूल करे जिसने माल नहीं उठाया है।

2. सभी प्रकार की रद्दी जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में उठानी होगी।
3. समस्त माल इस कार्यालय के गोदामों से उठाना होगा, माल उठाने का कोई व्यय इस कार्यालय द्वारा वहन नहीं किया जायेगा। तुलवाई का समस्त व्यय फर्म का ही होगा। धर्मकांठ पर ट्रक तुलवाई हेतु कमेटी के सदस्यों के लिए वाहन व्यवस्था स्वयं निविदाकार को करनी होगी।
4. विक्रय की जानेवाली सामग्री की डिलेवरी यथा भरे हुए ट्रक/ट्रकों के सम्पूर्ण माल की अदायगी नकद/ड्रापट द्वारा कार्यालय में जमा करवाने पर ही दी जायेगी।

6. पल्प प्रमाण पत्र :-

1. अन्य सभी रद्दी फर्म के द्वारा पल्प बनवाने हेतु सीधे मिल को भिजवाना होगा तथा प्रमाण पत्र देना होगा कि समस्त रद्दी पदार्थों का पल्प मील में बनवा दिया गया है। यदि अन्य रद्दी बाजार में विक्रय हेतु पाई गई हो तो संबंधित फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. विशिष्ट शर्तें :-

1. जिन वस्तुओं के लिए निविदा दी गई है उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए इस कार्यालय की इच्छानुसार आदेश दिये जा सकते हैं।
2. नेगोशियेशन के अन्तर्गत यदि निविदाकार मूल निविदा में अंकित दरों से कम दरें अंकित करते हैं अथवा कोई नयी शर्त रखते हैं तो नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह मूल निविदा की दरों को स्वीकार कर लें। यदि नेगोशियेशन में मूल निविदा में अंकित दरों से अधिक दरें आती हैं तो नीलामी समिति अधिक दरों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत होगी।
3. उक्त नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त/विपरीत यदि निविदादाता अपनी कोई अन्य नयी शर्त निविदा में लिखता है तो वह मान्य नहीं होगी।
4. इस निविदा एवं अनुबन्ध के संबंध में अन्य शर्त एवं नियम, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, राजस्थान सरकार के साविए एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
5. इस कार्यालय से माल उठाने व संबंधित मिल तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। कोई घटना होने पर निविदादाता ही जिम्मेदार होगा। इस संबंध में निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

8. करार :-

1. सफल निविदाकारों को अपने खर्च पर, निविदा स्वीकार करने की जारी सूचना के 7 दिवस के संलग्न करार पत्र के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार रूपये 1000/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।

(Signature)
हस्ताक्षर निविदादाता

निदेशक
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

—: घोषणा :-

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने / हमने ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं और मुझे / हमें स्वीकार है। निदेशक, राजस्थान
स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर का निर्णय मुझे / हमें स्वीकार्य होगा।

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय सील